(ग) क्या इस प्रयोजनार्थ कोई भवन या गोदाम खाली कराए जाने का विचार है ; और

(घ) यदि हां, तो उन क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है जहां ये स्थित हैं?

उद्योग मंत्रालय (लघु उद्योग और कृषि तथा ग्रामीण उद्योग) में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम्) (क) जी, नहीं ।

(ख) से (घ) उपर्युक्त (क) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता ।

देवघर, पटना और छोटानागपुर में पर्यटन के विकास हेतु परियोजना प्रस्ताव

*431. श्री सुरेन्द्र प्रसाद यादव :
श्री सोमपाल :

क्या भारसाधक विमानयन, खेल और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार राज्य सरकार ने देवघर, पटना और छोटानागपुर में पर्यटन के विकास हेतु कोई परियोजना केन्द्र सरकार की स्वीकृति हेतु भेजी है;

(ख) यदि, हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर कितनी धनराशि व्यय किये जाने की संभावना है;

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा उक्त परियोजनाओं को कब तक स्वीकृति प्रदान किये जाने की संभावना है और केन्द्र की ओर से उसके लिए कितनी राशि दी जाएगी;

(घ) क्या बिहार राज्य सरकार द्वारा केन्द्र सरकार ने अनुमोदनार्थ उक्त परियोजना के अतिरिक्त पर्यटन विकास संबंधी कोई अन्य परियोजना भेजी गई है; और

(ङ) यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी है और उन पर कब तक निर्णय लिये जाने की संभावना है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आज़ाद) : (क) से (ग) देवघर में जन-सुविधाओं के निर्माण के लिए 2.57 लाख रुपये की अनुमानित लागत पर एक प्रस्ताव स्वीकृत किया है । पटना और छोटानागपुर में पर्यटन के विकास के लिए राज्य सरकार से कोई अन्य पूरा परियोजना प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है ।

(घ) और (ङ) गत 3 वर्षों के दौरान देवघर और छोटानागपुर आदिवासी मेलों में जन-सुविधाओं सहित 28 परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं ।

PF Arrears of FACT, Udyogamandal

*432. SHRI K.K. VEERAPPAN :
SHRI V. GOPALSAMY:

Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) the total amount of PF arrears pending payment as per the assessment of PF authorities in case of FACT, Udyogamandal, as on date:

(b) the details thereof including the arrears, to be paid, the date on which the amount is due and also the steps taken to pay the amount;

(c) whether any steps in the past has been taken by PF authorities to recover PF dues; and

(d) if so, what has been the reaction of Government thereto?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI EDUARDO FALEIRO): (a) No Provident Fund arrears are pending as per the assessment of Provident Fund authorities in respect of the managerial and non-managerial employees of Fertilizers and Chemicals, Travancore Limited (FACT), Udyogamandal.

(b) Does not arise in view of (a) above.

(c) and (d) In January, 1991, the Regional provident Fund Commissioner, Kochi determined a liability of Rs. 17,71,232 against FAC towards arrears of Employees' Provident Fund contribution for the period December, 1971 to September, 1987 in respect of 249 workers engaged by contractors. The matter is subjudice and recovery has been stayed by the Kerala High Court.

Entitlement of the employees of the Spices Board to pensionary benefits

*433. SHRI M. A BABY: Will the PRIME MINISTER be pleased to state :

(a) whether according to the Spices Board Act, 1986, the employees of the Board are elig- ible for pensions;

(b) whether the rules have been framed to give effect to the relevant provision of the Act; and

(c) if not, what, meausers are being considered or proposed to be considered by Government to rectify the anomalies if any, in this regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBU- TION WITH ADDITIONAL CHARGE OF THE MINISTER OF STATE IN THE MINIS- TRY OF COMMERCE (SHRI KAMALUD- DIN AHMED): (a) Yes, Sir.

(b) and (c) No, Sir. Government's policy is that statutory organisations such as the Spices Board should formulate their own pension schemes without casting any budgetary liability